UPGK010032452022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-02, गोरखपुर।

सत्रवाद संख्या- 782/2022

सरकार ----- बनाम ----- विजय चावला एवं अन्य
मु०अ०सं०-719/2020
अंतर्गत धारा-323, 325, 304,
504, 506 भा०दं०सं०।
थाना- चिलुआताल, जिला- गोरखपुर।

प्रार्थना पत्र- 15 ख, अंतर्गत धारा- 227 दं०प्र०सं०

दिनांक 19.09.2022

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विजय चावला एवं अन्य द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या-15 ख मय शपथ पत्र, अंतर्गत धारा-227 दं०प्र०सं०, प्रश्नगत मामले में उन पर अधिरोपित आरोपों से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त प्रार्थना पत्र के अंतर्निहित तथ्यों के अनुरूप अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। अग्रेतर यह भी तर्क किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना की तिथि का उल्लेख न करना अभियोजन मामले को संदिग्ध बनाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकरण के संबंध में वादी मुकदमा के कथन की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि अभियुक्तगण के हाथ में लोहे की राड एवं डंडे का होने का कथन, क्षेत्राधिकारी, चौरीचौरा, जनपद- गोरखपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर को प्रकरण के संबंध में प्रेषित आख्या में यह अंकित किया जाना की मार पीट में लाठी डंडे का प्रयोग होना नहीं पाया गया है, बिल्कुल असत्य एवं निराधार है। साथ ही प्रकरण दैनिकी के पर्चा संख्या- 19 में अंकित चिकित्सक, जिनके द्वारा मृतक को उपचार हेतु प्रथमतः लाया गया था, के बयान की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह तर्क किया गया कि चिकित्सक के समक्ष वादी का यह बयान दिया जाना कि मृतक इन्द्र कुमार चावला को चोट दुर्घटनावश फिसल कर गिरने के कारण आयी है, स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण की प्रश्नगत मामले में संलिप्तता को झूठलाता है।

2. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न क्षेत्राधिकारी , चौरीचौरा, जनपद- गोरखपुर की मामले से संबंधित जांच आख्या के आधार पर यह तर्क किया गया कि, उक्त आख्या घटना की अभिकथित दिवस दिनांक 24.10.2020 के शाम की सी.सी.टी.वी. फुटेज पर आधारित है, जिसमें वादी संदीप व अभियुक्त करन के मध्य हाथापाई के दौरान मृतक का घटनास्थल पर पहुंचकर बीचबचाव करने के क्रम में उन्हें धक्का लगने से वे पीछे की ओर लड़खड़ाकर गिर गये तथा अचेतावस्था में हो जाना एवं उसके उपरांत उन्हें ईलाज हेतु ले जाया जाना दर्शित है, उक्त आख्या इस तथ्य का प्रमाण है कि अभिकथित घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है एवं अभियुक्तगण की उक्त अपराध में कोई भूमिका नहीं।

3. अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क किया गया कि विवेचक द्वारा चश्मदीद साक्षी के घटनास्थल पर उपस्थिति निश्चित करने हेतु उनके मोबाइल की लोकेशन रिपोर्ट पुलिस प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित था, क्योंकि विवेचक द्वारा अभिकथित चश्मदीद

साक्षीगण के मोबाइल नंबर का उल्लेख उनके द्वारा प्रकरण दैनिकी में किया गया है। विवेचक द्वारा अपेक्षित लोकेशन रिपोर्ट का पुलिस प्रपत्र के साथ संलग्न न किया जाना साक्षीगण की मौके पर उपस्थिति में संदेहास्पद बनाता है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को उन पर अधिरोपित आरोपों से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण को विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का प्रखरतापूर्वक खंडन करते हुए तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा को मारा पीटा गया, जिससे उसे काफी चोटें आयी तथा फ्रैक्चर हो गया, वादी मुकदमा को बचाने आये इन्दर चावला (मृतक) को भी अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नियत से सर पर राड से मारा गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्तगण द्वारा कारित चोटों से ही मृतक की मृत्यु होना शव विच्छेदन आख्या में दर्शित है। अभिकथित घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा घटना का समर्थन किया गया है एवं प्रस्तुत मामले के विवेचक द्वारा अभियुक्तगण की प्रस्तुत मामले में संलिप्तता को सत्य पाते हुए आरोप पत्र प्रेषित की गयी है। इस प्रकार उपरोक्त के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते उन्मोचन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. वादी, अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6. दं०प्र०सं० 227 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ संलग्न प्रलेखीय साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध अग्रेतर कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार प्राप्त न हो, तो अभियुक्त को उन्मोचित कर सके। धारा- 228 दं०प्र०सं०, धारा-227 दं०प्र०सं० की निरंतरता में अभियुक्त को उन्मोचित न करने की स्थिति में मामले को अग्रसारित करते हुए न्यायालय को आरोप विरचन हेतु सशक्त करती है। दं०प्र०सं० की धारा-227 व 228 का संयुक्त प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि न्यायालय को इस तथ्य का समाधान हो सके कि अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथित अभियोग सारहीन नहीं है एवं उसके विरूद्ध दांडिक कार्यवाही अग्रसारित किये जाने हेतु कुछ सामग्री अभिलेख पर विद्यमान है अथवा नहीं।

7. हस्तगत मामले में वादी द्वारा स्थानीय थाने पर प्रस्तुत किये गये उसकी तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध दांडिक प्रक्रिया को गति प्रदान की गयी है। उक्त तहरीर में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि प्रश्नगत प्रकरण में वादी व अभियुक्तगण विजय चावला एवं हितेश चावला के मध्य हो रहे झगड़े को देख मृतक, वादी के पिता, बीच बचाव हेतु घटनास्थल पर पहुंचे, इतने में अभियुक्त विजय चावला द्वारा मृतक को मारने हेतु अन्य अभियुक्तगण को ललकारा गया, उक्त रूप से प्रेरित किये जाने पर अन्य अभियुक्तगण हितेश व करन द्वारा मृतक को जान मारने की नियत से उन्हें पटक दिया गया। अभिकथित घटना में आयी चोटों के कारण अंततः मृतक की मृत्यु हो गयी, जो शव विच्छेदन आख्या से भी समर्थित है। दौरान विवेचना भी वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्निहित तथ्यों का समर्थन किया गया है एवं सभी अभियुक्तगण की मामले में संलिप्तता संबंधी कथन किये गये हैं। प्रकरण दैनिकी में अंकित चक्षुदर्शी साक्षी विशाल प्रताप मल्ल के कथन के विवरण के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त दिवस, दिनांक 24.10.2020, पर जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसके द्वारा यह देखा गया कि "वादी को तीन लोग मार रहे थे, इसी बीच एक बुजुर्ग थे, उन्होंने संदीप को पकड़ लिया, एक लड़के ने संदीप (वादी) के पिता इन्दर चावला (मृतक) राड से मारा तथा दूसरे ने मुंह पर मुक्का से मारा, जिससे संदीप के पिता वहीं पर बेहोश होकर गिर गये।" जो प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण की मामले में संलिप्तता को दर्शाता है।

8. जहां तक बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को क्षेत्राधिकारी, चौरीचौरा, जनपद- गोरखपुर द्वारा प्रश्नगत घटना के संबंध में प्रेषित आख्या में अभिकथित मार पीट में लाठी डंडे के प्रयोग न होने के तथ्य का प्रश्न है, तो यहां यह उल्लिखित किया जाना

समीचीन प्रतीत होता है कि उक्त आख्या अभियोजन द्वारा पुलिस प्रपत्रों के साथ संलग्न कर न्यायालय को प्रेषित नहीं की गयी है, अतः आरोप विरचन के स्तर पर उक्त आख्या पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि आरोप विरचन हेतु न्यायालय मात्र पुलिस प्रपत्रों के साथ संलग्न साक्ष्यों पर ही विचार कर सकती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि घटना में लाठी-डंडें के प्रयोग का न होना कुछ क्षण हेतु मान भी लिया जाए, तो प्रकरण दैनिकी के पर्चा संख्या-7 में विवेचक द्वारा अभिकथित घटना के सी.सी.टी.वी. फुटेज के दिये गये विवरण के अनुसार भी अभियुक्तगण प्रथम दृष्टया उनके द्वारा किये गये कृत्य के दायित्व से उन्मुक्त नहीं किये जा सकते , क्योंकि उक्त सी.सी.टी.वी. फुटेज में विवेचक द्वारा यह पाया गया है कि दिनांक 24.10.2020 को समय 05.24 P.M. पर मृतक इन्दर चावला अभियुक्त की दुकान पर गये है तथा अभियुक्त से बातचीत कर रहे है, जहां पर अभियुक्त हितेश चावला भी दुकान के काउंटर पर बैठा हुआ है। अभियुक्त विजय कुमार चावला द्वारा मृतक इन्दर चावला को धक्का दिया गया, जिससे वह गिर गये। दूसरे फुटेज में वादी मुकदमा के साथ अभियुक्तगण करन चावला, हितेश चावला व विजय चावला के मार पीट किये जाने व इसी दौरान मृतक को गिरते देखा गया है। अंधेरा होने के कारण सी.सी.टी.वी. फुटेज का पूरी तरह से स्पष्ट न होना भी उक्त पर्चे में अंकित है। इस प्रकार अभिकथित घटना में जानबूझकर अभियुक्त विजय चावला द्वारा मृतक के विरूद्ध अयुक्त बल प्रयोग कर उसे गिरा दिया जाना एवं गिरने से मृतक के सर पर आयी चोट से उसकी मृत्यु होना तथा अन्य सहअभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति एवं उनके द्वारा पीड़ित पक्ष को मारे पीटे जाने हेतु दुष्प्रेरित करना प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण की मामले में संलिप्तता को दर्शाता है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह, (1977) 4 एस.सी.सी. 39,** के मामले में धारा-227 व 228 दं०प्र०सं० को एक साथ पढ़ते हुए यह अवधारित किया गया है कि विचारण के प्रारंभ में और उसकी आरंभिक अवस्था में अभियोजक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित साक्ष्य की सत्यता, सत्यवादिता और उसके प्रभाव को सूक्ष्मता से जांचने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रम पर अभियुक्त की संभाव्य प्रतिरक्षा का भी मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता नहीं होती। विचारण के इस प्रक्रम पर न्यायालय के लिए यह बाध्यता नहीं है कि वह इस पर विस्तार से विचार करे और संवेदनशील संतुलन के अनुरूप इस बात का वर्णन करे कि तथ्य, यदि साबित हो गये, तो क्या वे अभियुक्त की निर्दोषिता के विरूद्ध जायेंगे। इस प्रक्रम पर न्यायालय से यह भी अपेक्षित नहीं कि वह यह विचार करे कि क्या अभियुक्त की दोषसिद्धि का पर्याप्त आधार है या नहीं, अथवा यह कि क्या विचारण की समाप्ति अभियुक्त की दोषसिद्धि होगी।

10. उक्त विधि व्यवस्था के दृष्टिगत प्रस्तुत मामले के तथ्य एव पुलिस प्रपत्रों यथा तहरीर, शव विच्छेदन आख्या व प्रकरण दैनिकी में अंकित साक्षीगण के बयान के परीक्षण से अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित अपराध हेतु दांडिक कार्यवाही अग्रसारित किये जाने की पर्याप्त उपधारणा न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रार्थना पत्र-15 ख, अंतर्गत धारा- 227 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है तथा अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 24.09.2022 को न्यायालय के समक्ष आरोप विरचन हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

दिनांक 19.09.2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं०-2, गोरखपुर।

Digitally signed by SANTOSH KUMAR GAUTAM
Date: 2022.09.19 17:19:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court